

प्रेषक,

अशोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 20 मार्च, 2018

विषय- राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान शिक्षण सत्र 2018-19 हेतु सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक प्रतिवादन के आधार पर 585 पदों के सापेक्ष नियुक्त 253 अभ्यर्थियों की संविदा अवधि विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों को रिक्त कुल 877 पदों पर नियमित चयन हेतु शासनादेश संख्या-483/XXIV(4)/2017-01(14)/2016, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये हैं। किन्तु मा0 आयोग से नियमित प्रवक्ताओं की चयनोपरान्त तैनाती होने में समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-2209/XXIV(4)/2017-01(14)/2016, दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र 2017-18 हेतु सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने अथवा दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक जो भी पहले हो, के लिए प्रतिवादन के आधार पर 585 पदों पर शिक्षण कार्य हेतु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शिक्षण सत्र 2017-18 में उक्त 585 पदों के सापेक्ष मात्र 253 अभ्यर्थी नियुक्त/चयनित हुए, जिनकी संविदा अवधि दिनांक 28 फरवरी, 2018 को समाप्त हो गयी है।

2- अतएव उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान शिक्षण सत्र 2018-19 को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु कार्यहित/जनहित में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त 585 रिक्त पदों के सापेक्ष साक्षात्कार के उपरान्त नियुक्त/चयनित 253 अभ्यर्थियों की संविदा अवधि मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने अथवा इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 11 माह की अवधि तक, जो भी पहले हो, के लिए नितान्त अस्थाई एवं काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में पूर्व व्यवस्थानुसार प्रतिवादन आधार पर विस्तारित की जाती हैं।

भवदीय,


(अशोक कुमार)
अपर सचिव

संख्या- 442 (1)/XXIV(4)/2017-01(14)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-सचिव, कार्मिक एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 6-समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7-समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6-निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7-समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन। — ~~7~~
- 8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव